न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 125/2016(2016/00090) दायरा दिनांक : 14.07.2016

उनवान

1. भंवर सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   1/1. इन्दर सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/2. मोहन सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/3. पदम सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/4. गोपाल सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/5. नन्द सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/6. साहेब कुंवर पुत्री भंवर सिंह
   1/7. विष्णु कंवर पुत्री भंवर सिंह
   1/8. राज कुंवर पुत्री भंवर सिंह
2. मान सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   2/1. राजेन्द्र सिंह आत्मज मान सिंह
3. जोरावर सिंह आत्मज नाथू सिंह
4. शैतान सिंह आत्मज नाथू सिंह
5. प्रहलाद सिंह आत्मज नाथू सिंह
6. बापू सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   6/1. हुकम सिंह आत्मज बापू सिंह
   6/2. धन सिंह आत्मज बापू सिंह
   6/3. कौशल्या कंवर पुत्री बापू सिंह
   6/4. गट्टू बाई पत्नी स्वर्गीय बापू सिंह
7. करण सिंह आत्मज नाथ सिंह
   अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड
   .... अपीलांट

बनाम

1. भैरू सिंह पुत्र शिव सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   1/1. गंगा सिंह, आयु 46 वर्ष आत्मज भैरू सिंह
   1/2. ऋषिराज सिंह, आयु 43 वर्ष आत्मज भैरू सिंह
   1/3. बलवन्त सिंह, आयु 35 वर्ष आत्मज भैरू सिंह
   अकवाम जाति राजपूत, निवासी नवलपुरा मोहल्ला ग्राम सुनेल, जिला झालावाड राजस्थान
   1/4. सोहन कुंवर, आयु 38 वर्ष पुत्री भैरूसिंह पत्नी प्रेम सिंह, जाति राजपूत,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निवासी मांडा गांव (श्यामपुरा) पोस्ट ढूमकी तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हेमराज सिंह हाडा व चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम झालावाड के प्रकरण संख्या – 513/दावा/98 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2002 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम आकोदिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड का खाता संख्या 85 सम्वत 2022 वादीगण के पिता नाथू सिंह जी को खसरा नम्बर 444 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी मिसल नम्बर 717 दिनांक 30.08.1967 में ऐलाट की गई थी। इसी प्रकार प्रतिवादी भू प्रबन्ध सैटलमेंट विभाग झालावाड के पट्टा खाता संख्या 85 में वादीगण के पिता नाथू सिंह के भाई शिव सिंह को भी खसरा नम्बर 443 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा का सहखातेदार घोषित किया था जिस पर भूमि खसरा नम्बर 443 की भूमि पर प्रतिवादी भैरू सिंह का कब्जा चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2002 से वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम आकोदिया, तहसील पिडावा की खसरा नम्बर 444 की 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी के मामले में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 की 10 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट के पिता नाथू सिंह वल्द भवानी सिंह के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खाते दर्ज थी एवं खसरा नम्बर 443 की 9 बीघा 13 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंट क्रम 1 भैरू सिंह के पिता शिव सिंह आत्मज भवानी सिंह के खाते दर्ज थी एवं अन्य खसरा नम्बर 173 की आराजी रघुनाथ सिंह पुत्र भवानी सिंह के खाते दर्ज थी, खसरा नम्बर 173 की आराजी खातेदार द्वारा बेचान कर दी गई इस आराजी का कोई विवाद नहीं है। इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया। सैटलमेंट की जमाबंदी में नाथू सिंह, रघुनाथ सिंह, शिव सिंह तीनो भाइयों की आराजी जो सैटलमेंट से पूर्व पृथक पृथक कब्जे काश्त में थी उक्त आराजी शामिल खाते दर्ज कर दी गई जो जमाबंदी सैटलमेंट सम्वत 2022 से 2041 से स्पष्ट था, जबकि अपीलांट के पिता नाथू सिंह के खाते व कब्जे की आराजी अपीलांट के खाते ही दर्ज करना चाहिए। विवादित आराजी के मामले में खातेदार नाथू सिंह व शिव सिंह के फौत होने पर नामान्तरकरण नम्बर 34 दिनांक 17.01.1973 तस्दीक किया गया जो सम्वत 2027 के आस पास तस्दीक किया गया। परन्तु इसके बाद अपीलांट के पिता के कब्जे व खाते की खसरा नम्बर 444 की 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंट भैरू सिंह के खाते दर्ज कर दी गई एवं भैरू सिंह के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 443 की 9 बीघा 13 बिस्वा आराजी नाथू सिंह खातेदार के वारिसान अपीलांट के खातेदारी में दर्ज कर दी गई इसी इन्द्राज की दुरूस्ती कर घोषणा बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से भी साबित था कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाब रेस्पोडेंट भैरू सिंह ने दिनांक 31.08.1999 को पेश किया था उसमें दावे के सभी चरण क्रम को स्वीकार करते हुए यह सहमति जारी की गई थी कि वादी का दावा डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं यह भी जाहिर किया था कि खसरा नम्बर 443 की 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि भैरू सिंह के खाते दर्ज कर दी जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट भैरू सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे पर कोई गौर नहीं फरमाया और वाद खारिज कर दिया जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में अपीलांट का वाद केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि दस्तावेज फोटो प्रतियां हैं और गवाह पेश नहीं किये इस तनकी के आधार पर वाद खारिज कर दिया जावे अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी के मामले में अर्थात खसरा नम्बर 444 के मामले में सैटलमेंट के पहले से ही अपीलांट के पिता पूर्वज खातेदार नाथू सिंह का कब्जा था एवं खसरा नम्बर 443 पर रेस्पोडेंट भैरू सिंह व उसके पिता शिव सिंह का कब्जा था। इसी आधार पर वर्तमान रिकार्ड पर खातेदारी होना चाहिए परन्तु सैटलमेंट विभाग एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट का खातेदारी में नाम खसरा नम्बर 444 पर दर्ज न कर खसरा नम्बर 443 पर दर्ज कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिया जो अवैधानिक है, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2002 निरस्त फरमायी जाकर वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री फरमाया जाकर अपीलांट को खसरा नम्बर 444 की 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी वाके ग्राम आकोदिया, तहसील पिडावा का खातेदार घोषित किया जावे एवं खसरा नम्बर 443 की 9 बीघा 13 बिस्वा आराजी वाके ग्राम आंकोदिया, तहसील पिडावा को रेस्पोडेंट भैरू सिंह के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.06.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट भैरू सिंह के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया और निवेदन किया था कि ग्राम आकोदिया, तहसील पिडावा, की खसरा नम्बर 444 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी का अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 1 प्रतिवादी के द्वारा अपीलांट/वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश किया ऐसी स्थिति में दावे के तथ्य स्वीकृत करने की स्थिति में विवादित मामले में ज्यादा साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रिकार्ड के आधार पर निर्णय करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा साबित न होना मानते हुए अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जो अवैधानिक है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 की 10 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट के खाते की थी एवं खसरा नम्बर 443 की 9 बीघा 13 बिस्वा रेस्पेडेंट कम 1 भैरू सिंह के खाते की थी अन्य खसरा नम्बर 173 का कोई विवाद नहीं था। सैटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जमाबंदी में नाथू सिंह, रघुनाथ सिंह, शिव सिंह तीनों भाइयों की आराजी पृथक पृथक कब्जे काश्त में थी। परन्तु उक्त आराजी को मिलाती खाते में दर्ज कर दी जो सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2022 से 2041 से स्पष्ट था।

विवादित आराजी के मामले में खातेदार नाथू सिंह व शिव सिंह के फौत होने पर नामान्तरकरण नम्बर 34 दिनांक 17.01.1973 तस्दीक किया गया इसके बाद अपीलांट के पिता के कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 444 की 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंट भैरू सिंह के खाते दर्ज कर दी गई एवं भैरू सिंह के खाते एवं कब्जे की 443 की 9 बीघा 13 बिस्वा अपीलांट के पिता नाथू सिंह के खाते दर्ज कर दी गई। इसी कारण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश किया गया था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे का रेस्पोडेंट भैरू सिंह के द्वारा इकबाली जवाब पेश किया। ऐसी स्थिति में दावे के कथनों की स्वीकारोक्ति होने की स्थिति में विवादित मामले में साक्ष्य वगैरह की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। अधीनस्थ न्यायालय को इकबाली जवाब व राजस्व अभिलेख को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट का वाद डिक्री फरमाया जाना चाहिए था। अपीलांट भंवर सिंह की मृत्यु सन् 2008 में एवं अपीलांट मानसिंह की मृत्यु 2013 में होने व अपीलांट बाबू सिंह की मृत्यु 2008 में होने से उनके जायज वारिसान को अपील में पक्षकार बनाया जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। न्याय हित में जानकारी की दिनांक से अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.08.2002 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट/वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर अपीलांट को खसरा नम्बर 444 की 10 बीघा 10 बिस्वा एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादी भैरू सिंह को खसरा नम्बर 443 की 9 बीघा 13 बिस्वा आराजी वाके ग्राम आकोदिया, तहसील पिडावा का खातेदार घोषित किया जावे और उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 89–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि एक पट्टा ग्राम आकोदिया तहसील पिडावा जिला झालावाड का खाता संख्या 85 सम्वत 2022 में वादीगण के पिता नाथूसिंह को खसरा नं. 444 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा जरिये मिसल नम्बर 717 दिनांक 30.08.1967 जमा पर्चा तैयार कर एलोट किया था जिस पर वादीगण के पिता का कब्जा लगातार चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी भू–प्रबन्ध विभाग झालावाड के पट्टा खाता संख्या 85 में वादीगण के पिता नाथूसिंह के भाई शिव सिंह को भी खसरा नम्बर 443 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा का सहखातेदार घोषित किया था, जिस पर प्रतिवादी भैरूसिंह का कब्जा चला आ रहा था। वादीगण एवं प्रतिवादी का देहान्त हो गया है अब उनके कायम वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है। वादीगण का खसरा नम्बर 444 रकबा 10.10 बीघा पर कब्जा एवं काश्त करते चले आ रहे है लेकिन पटवारी हल्का आकोदिया पटवार क्षेत्र निरीक्षण सुनेल ने वादीगण के खाते की भूमि का फौती इंतकाल खोलते वक्त वादीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 10.10 बीघा पर प्रतिवादी भैरूसिंह का नाम दर्ज कर दिया है तथा इसी तरह प्रतिवादी भैरूसिंह के पिता शिवसिंह के मरने के बाद फौती इंतकाल खसरा नं. 443 रकबा 9.13 बीघा जो कि प्रतिवादी भैरूसिंह की है उक्त खसरा नम्बर पर वादीगण के नाम फौती इंतकाल खोल दिये है जो कि गलत है। अर्थात पट्टे के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी का इंतकाल खोलना चाहिए था। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर वादीगण अपीलांट द्वारा खसरा नं. 444 की जमाबंदी संख्या 102 नयी व पुरानी 105 पर प्रतिवादी भैरूसिंह का नाम हटाकर वादीगण के नाम इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय, झालावाड द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2002 से वादी का वाद खारिज करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि वादी द्वारा वाद के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वह सभी छाया प्रतियां पेश की गयी है जो शहादत में पढ़े जाने योग्य नहीं है। वकील वादी द्वारा दावे के समर्थन में कोई गवाह भी पेश नहीं किये गये हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे के समर्थन में जो दस्तावेज पेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किये हैं, वे सभी मूल दस्तावेजों की छाया प्रति पेश की गई है, जो विधिक रूप से साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है। दस्तावेजों की छाया प्रतियों के अलावा अन्य कोई गवाह भी वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी साबित नहीं होना मानते हुए खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की जानकारी के बाद भी अपीलांट द्वारा वर्तमान विचाराधीन अपील के साथ भी कोई मूल/प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. भंवर सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   1/1. इन्दर सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/2. मोहन सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/3. पदम सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/4. गोपाल सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/5. नन्द सिंह आत्मज भंवर सिंह
   1/6. साहेब कुंवर पुत्री भंवर सिंह
   1/7. विष्णु कंवर पुत्री भंवर सिंह
   1/8. राज कुंवर पुत्री भंवर सिंह
2. मान सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   2/1. राजेन्द्र सिंह आत्मज मान सिंह
3. जोरावर सिंह आत्मज नाथू सिंह
4. शैतान सिंह आत्मज नाथू सिंह
5. प्रहलाद सिंह आत्मज नाथू सिंह
6. बापू सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   6/1. हुकम सिंह आत्मज बापू सिंह
   6/2. धन सिंह आत्मज बापू सिंह
   6/3. कौशल्या कंवर पुत्री बापू सिंह
   6/4. गट्टू बाई पत्नी स्वर्गीय बापू सिंह
7. करण सिंह आत्मज नाथ सिंह

अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.....अपीलांट

बनाम

1. भैरू सिंह पुत्र शिव सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   1/1. गंगा सिंह, आयु 46 वर्ष आत्मज भैरू सिंह
   1/2. ऋषिराज सिंह, आयु 43 वर्ष आत्मज भैरू सिंह
   1/3. बलवन्त सिंह, आयु 35 वर्ष आत्मज भैरू सिंह

   अकवाम जाति राजपूत, निवासी नवलपुरा मोहल्ला ग्राम सुनेल, जिला झालावाड राजस्थान
   1/4. सोहन कुंवर, आयु 38 वर्ष पुत्री भैरूसिंह पत्नी प्रेम सिंह, जाति राजपूत, निवासी मांडा गांव (श्यामपुरा) पोस्ट झूमकी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **125/2016 (2016/00090)** व नाराजगी डिकी अदालत–**सहायक कलेक्टर मुकाम झालावाड़**

मु.द.नं **513/दावा/1998** निर्णय एवं डिकी दिनांक –**07.08.2002**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 04 माह 04 सन् 2025

हाजरी **श्री हेमराज सिंह हाडा एवं श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.08.2002 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **28** माह **04** सन् **2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा